न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व अपील संख्या 22/2011

अनवान

श्रीरामचन्द्र पुत्र श्री रामपाल जाति भांभी निवासी दौलतपुरा बलाईयान तहसील–ब्यावर, जिला– अजमेर।

..........अपीलान्ट

बनाम

1. हल्का पटवारी ग्राम देलवाडा, तहसील ब्यावर, जिला–अजमेर(राज0)
2. राजस्थान सरकार जरिये भू–धारक तहसीलदार ब्यावर जिला अजमेर

.... रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री शुभकरणसिंह चौधरी राजकीय अभिभाषक

आदेश

दिनांक :– 26.04.2017

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम दौलतपुरा बलाईयान तहसील ब्यावर की वादग्रस्त आराजी ख0सं0 159/1 कुल रकबा 76–05–08 में से 540 फुट पर तीन फीट उॅचाई तक निर्माण कार्य कर अतिक्रमण किया जाने की पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार द्वारा एल.आर.एक्ट की धारा 91 के तहत अपीलान्ट के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया। अपीलान्ट को जवाब व साक्ष्य सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किये बिना तहसीलदार ब्यावर द्वारा दिनांक 21.01.2011 को अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित करते हुए विवादित भूमि पर किये गये अवैध निर्माण को ध्वस्त कर बेदखल करने एवं जुर्माना कायम करने का निर्णय पारित किया गया। तहसीलदार के इसी आक्षेपित आदेश से असन्तुष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस जारी किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोंडेन्ट्स की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। दौराने बहस अभिभाषक अपीलान्ट उपस्थित नहीं आयें। उपस्थित पैरोकार सरकार द्वारा सुनवाई चाहने पर उन्हें सुना गया।

पैरोकार सरकार द्वारा मियाद के बिन्दु पर एतराज दर्ज नहीं करवाये जाने के कारण न्यायहित में मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कन्डोन कर अपील गुणावगुण पर निर्णित किये जाने का निश्चय किया गया। अपील के मुख्य तथ्य यह है कि ग्राम दौलतपुरा बलाईयान तहसील ब्यावर के वादग्रस्त खसरा सं0 159/1 जो कि बहुत बडा खसरा है। रेस्पों0 सं0 01 द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध उक्त खसरा नं0 के रकबा 540 वर्ग फुट पर अतिक्रमण किये जाने की प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर रेस्पो0 सं0 02 द्वारा अपीलान्ट को नोटिस जारी किये जाने पर अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब पेश कर पुश्तैनी कब्जा को नियमन करने का निवेदन किया गया। इसके बावजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21.01.2011 को अपीलान्ट की अनुपस्थिति में एकपक्षीय

जिला कलक्टर कार्यालय अजमेर

26/4/17
जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

आक्षेपित आदेश पारित किया गया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। आक्षेपित खसरा के रकबा 3–00–00 बीघा भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा उनके पिताजी के समय से करीब 35 वर्षो से रहा है। अपीलान्ट के पिता एवं अपीलान्ट द्वारा काफी धन, बल एवं श्रम बल लगाकर भूमि का सुधार किया गया है। 15 वर्ष पूर्व ही इसमें रहवासीय मकानात आदि का निर्माण कार्य किया गया था। अपीलान्ट के पास इसके अतिरिक्त कोई मकानात नहीं है। अपीलार्थी कानून से अनभिज्ञ ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है। वाद ग्रस्त आराजी पर अपीलार्थी का पूर्वजों से लगातार कब्जा चला आ रहा है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य को नजर अन्दाज कर अपीलार्थी को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिये बिना मनमाने तरीके से एक तरफा कार्यवाही करते हुए प्राकृतिक न्याय, नियम, कानून, के विपरीत विधि विरुद्ध रूप से आक्षेपित आदेश 21.01.2011 द्वारा अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित करते हुए विवादित भूमि से बेदखल कर जुर्माना कायम किये जाने तथा निर्माण को ध्वस्त किये जाने का पारित किया गया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.01.2011 निरस्त किया जावें तथा उक्त खसरा भूमि का प्राथमिक रूप से अपीलार्थी के नाम नियमन करने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्ट की अपील संधारण योग्य नहीं है। धारा 91 की कार्यवाही समरी प्रोसिडिंग है। राजकीय भूमि पर अतिक्रमण होने/पाये जाने पर धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही नियमानुसार अपेक्षित है, उसी के तहत् कब्जा अतिक्रमण होने से रिपोर्ट पटवारी के आधार पर प्रकरण दर्ज कर प्रावधानों अनुसार अतिक्रमी को नोटिस जारी किया जाकर साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर ही आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार कर खारिज की जावे।

हमने वहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया, रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक दर्ज है तथा अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि रकबा 540 वर्ग फीट पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण/निर्माण किये जाने पर तहसीलदार द्वारा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम के तहत् उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्णरूपेण विधि अनुरूप की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में कोई कानूनी भूल अथवा विधि के विरूद्ध कार्यवाही का उल्लेख नहीं है। इस प्रकार अपीलान्ट की अपील को स्वीकार करने का कोई ठोस आधार किसी भी प्रकार से स्पष्ट नहीं होने से अपील अपीलान्ट अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.01.2011 यथावत रखा जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 26.04..2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner